

UPKS060010772022



**न्यायालय सिविल जज( क० श्रे०) त्वरित न्यायालय-II , कौशाम्बी**  
**उपस्थित- शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)**  
**मूल वाद संख्या- 318/2000**

राममूरत उम्र 51 वर्ष पुत्र अमीरे निवासी मौजा चौराडीह परगना व तहसील चायल  
जिला कौशाम्बी।

... .. वादी

बनाम

1. विश्वनाथ उम्र 65 वर्ष पुत्र गरीब (मृतक)
- 1/1 श्रीमती रमदेई उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व० विश्वनाथ
- 1/2 मोतीलाल उम्र 35 वर्ष | पुत्रगण
- 1/3 उधम सिंह उम्र 14 वर्ष | स्व० विश्वनाथ
- 1/4 गुड्डी उम्र 25 वर्ष पत्नी हीरालाल
- 1/5 पन्नालाल उम्र 5 वर्ष पुत्र स्व 0 हीरालाल संरक्षिका माता
2. साधू सिंह उम्र 35 वर्ष | पुत्रगण
3. मंगल प्रसाद उम्र 32 वर्ष | मुन्नीलाल
4. कल्लू उम्र 27 वर्ष |
5. ननकूलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र भैरव प्रसाद
6. लल्लू उम्र 25 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल
7. रामसमोधी उम्र 53 वर्ष पुत्र अमीरे सभी निवासीगण ग्राम चौराडीह परगना व  
तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

... .. प्रतिवादीगण

**—:निर्णय:—**

01. प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा व विकल्प में बंटवारे के अनुतोष हेतु योजित किया है।
02. वादी का वाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही समान पूर्वज के वंशज हैं और उनका सजरा खानदान निम्नवत है:—

## चौबे

भैरव प्रसाद	गरीब	अमीरे
ननकू लाल सुन्दरलाल राममूरत	विश्वनाथ मुन्नीलाल	राम समोधी
ल्लू	साधू सिंह मंगल प्रसाद	कलू

03. वंशावली में दर्ज चौबे का मकान मौजा चौराडीह में स्थित था जिसकी चौहद्दी दावे के नीचे दर्ज है और उक्त पैतृक मकान को दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में हरफ अ.ब.स.द से दिखाया गया है। चौबे की मृत्यु लगभग 70-75 वर्ष पूर्व हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके तीनों लडकों ने पैतृक मकान का विभाजन इस प्रकार कर लिया कि वादी के पिता के हिस्से में पूर्वी हिस्से में जिसे नक्शा नालिश में लाल रेखाओं से घिरा दिखाया गया है पर काबिज हुए, जबकि प्रतिवादीगण एक ता चार के पूर्वज गरीब को मकान का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिसे नक्शा नालिस में हरी लाइनों से घिरा दिखाया गया है तथा भैरव प्रसाद को विवादित मकान का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जिसे नक्शा नालिस में पीले रंग से दिखाया गया है, मिला।

04. चौबे के लडकों में उक्त विभाजन जमींदारी हटने के पहले हो गया था और मकान के बीच में स्थित आंगन तीनों भाइयों के सम्मिलित उपयोग व उपभोग में रहा चला आया। बंटवारे के बाद चौबे के तीनों लडकों को विवादित मकान में रहाइस में दिक्कत होने लगी, अतः अमीरे व गरीब ने मौजे की आबादी के उत्तर तरफ जमीन जमींदार से ली और वहां पर अपने अलग अलग मकान बनवायें जिसमें दक्षिणी हिस्से में अमीरे की शाखा का मकान है और उत्तरी में गरीब का मकान है। इसी प्रकार भैरव प्रसाद ने भी जमींदार से जमीन ले करके एक मकान बना लिया है जो गांव की आबादी के पूरब है। विवादित मकान बहुत ही जर्जर व कमजोर हो चुका है और वादी के हिस्से में स्थित मकान का काफी हिस्सा गिर पड़ गया है। विवादित मकान व आबादी का बंटवारा वाहमी तौर पर जमींदारी टूटने के पूर्व ही हो चुका है और फरीकैन अपने अपने हिस्से पर यथावत काबिज व दखील चले आ रहे हैं परंतु वाहमी बंटवारे की कोई लिखा पढ़ी नहीं होने से प्रतिवादी नं0 1, 1/1 रमदेई, 1/2 मोतीलाल, 1/3 उधम सिंह, 1/4 गुडडी 1/5 पन्नलाल को कोई भी अधिकार वादी के पूर्वी हिस्से में अतिक्रमण करके निर्माण करने का हक नहीं है। विकल्प में वादी का यह भी केस है कि यदि न्यायालय की निगाह में वादी द्वारा कथित पारिवारिक बंटवारा न भी माना जाये तो भी वादी व प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति के सहस्वामी हैं और बिना विभाजन के किसी भी सहस्वामी को किसी अंश विशेष पर कोई निर्माण करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या-1 के

वारिसान 1/1 रमदेई, 1/2 मोतीलाल, 1/3 उ मसिंह, 1/4 गुडडी, 1/5 पन्नालाल काफी सरकस व झगडालू है ऐसी स्थिति में वादी को अधिकार है कि वह प्रतिवादी सं 0-1 के वारिसान 1/1 रमदेई, 1/2 मोतीलाल, 1/3 उधमसिंह, 1/4 गुडडी, 1/5 पन्नालाल को जरिये हुकुम इन्तनाई दवामी मना कराये कि वे विवादित आबादी जिसे नक्शा नालिस में दिखाया गया है पर कोई तामीर न करें और न ही वादी के हिस्से में अतिक्रमण करें। दीगर प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति के सहस्वामी है इसलिए उन्हे भी इस मुकदमें में पक्ष बनाया जाता है।

05. वाद का कारण व तारीख 23.04.2000 जबकि प्रतिवादी नं-1 के वारिसान 1/1 रमदेई, 1/2 मोतीलाल, 1/3 उधमसिंह, 1/4 गुडडी, 1/5 पन्नालाल ने विवादित आबादी में अपने हिस्से से बढकर तामीर करने की चेष्टा की. इस न्यायालय की अधिकार सीमा के अन्तर्गत पैदा हुआ और इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

06. वादी द्वारा याचना की गयी कि जरिये हुकुम इतनाई दवामी प्रतिवादी नं० 1 के वारिसान 1/1 रमदेई, 1/2 मोतीलाल, 1/3 उधमसिंह, 1/4 गुडडी, 1/5 पन्नालाल को मना किया जाये कि वह विवादित मकान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिसे नक्शा नालिस में हरी लाइनों से घिरा दिखाया गया है से बढकर पूर्व स्थित वादी के पूर्वी हिस्से की भूमि जिसे नक्शा नालिस में लाल रेखाओं से घिरा दिखाया गया है. में कोई नवनिर्माण न करें और न ही नक्शा नालिस में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि में वादी के कब्जे व दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें और न उस पर कोई नवनिर्माण करें।

07. प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से अपना जबावदावा कागज संख्या 28 क दाखिल कर कथन किया गया कि उत्तरदाता उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या -1 है। वादपत्र की धारा-1 में दिया गया सजरा खानदान स्वीकार है किन्तु वादी के पूर्वजों की मृत्यु के सम्बन्ध में विवरण देना चाहिए। जो नहीं दिया गया है जिससे स्थिति अस्पष्ट है।

08. प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा यह भी कथन किया गया है कि विवादित मकान पैतृक नहीं है बल्कि यह मकान उसका तनहा है। जहां तक विभाजन के सम्बन्ध में कथन किया गया है वह बगरज मुकदमा मनगढन्त है। वस्तुतः विवादित मकान उत्तरदाता का तनहा उपार्जित है जिससे विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता इस सम्बन्ध में दिया गया नक्शा नजरी भी मनगढन्त है। वस्तुतः विवादित मकान उत्तरदाता का तनहा है इसलिए आंगन के सम्मिलित उपयोग उपभोग में रहे चले आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस मकान को वादी अमीरे व गरीब का मकान जिसे आबादी के उत्तर तरफ बताया जा रहा है यह और एक अन्य मकान जो आबादी के पूरब है जो भैरव के हिस्से में है वही पूर्वजी मकानात है और जमींदारी के भूमि पर नहीं बना है। भैरव प्रसाद का मकान जमींदारी के जमीन पर नहीं है बल्कि यह भी पूर्वजी मकान है। चूंकि विवादित मकान उत्तरदाता का तनहा है इसलिए इसकी आपसी बंटवारा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है वादी ने यह कथन मुकदमें में बल व रंग देने के लिए काल्पनिक किया है। उत्तरदाता के अलावा वादी अथवा अन्य प्रतिवादीगण कतई विवादित सम्पत्ति के न तो सह स्वामी है न रहे है और न ही कभी वादी अथवा अन्य प्रतिवादीगण को कोई वास्ता सरोकार

कब्जा देखल कभी रहा नहीं है। सही तथ्य यह है कि चौबे का मकान व आबादी स्थल जहां अमीर व गरीब व भैरव प्रसाद का दिखाया गया है वही उनके जीवनकाल तक कायम रहा अपने जीवन काल में चौबे ने कतई कोई मकान विवादित स्थल में नहीं बनाया था वस्तुतः विवादित स्थल कतई पूर्वजी अथवा पैतृक नहीं है। उपरोक्त दोनों पूर्वजी मकान पहले कच्चे थे इसी में चौबे व अमीरे, गरीब व भैरव प्रसाद भी अपने पिता के साथ निवास करते रहे। चौबे ने अपने जीवनकाल में ही उक्त दोनों पूर्वजी मकानों का बंटवारा कर दिया जिसमें आबादी के उत्तर तरफ स्थित पूर्वजी मकान अमीरे व गरीब के हक में आया व आबादी के पूरब स्थित मकान भैरव प्रसाद के हक में आया उत्तर तरफ स्थित पूर्वजी मकान शक में बड़ा था तथा पूरब तरफ स्थित मकान कुछ छोटा रहा जिसे आवश्यकतानुसार वादी व अन्य विपक्षीगणों ने कुछ भाग पर पक्का निर्माण कर लिया है। उत्तरदाता भी अपने पिता गरीब के साथ उत्तर तरफ स्थित मकान में रहता रहा तथा शपथकर्ता का भाई मुन्ना लाल भी रहता बाद में अमीरे व गरीब ने अपने अपने अंश को भी अलग कर लिया जिससे उत्तरदाता व उसका भाई मुन्नी लाल अपने पिता के अंश में रहने लगे। उत्तरदाता को उक्त मकान में विवाद के कारण सुख शान्ति नहीं रही जिससे उत्तरदाता ने अर्सा दराज कई वर्षों पूर्व पैतृक मकान छोड़कर गांव की खाली आबादी में (कथित विवादित स्थल में) कटवा मकान बना कर आबाद हो गया और यही सेहन दुबारा आदि भी कायम किया। उक्त स्थल उत्तरदाता ने अलग होने के बाद तनहा उपर्जित किया है जो उसके मालिकाना हक में निहित हो चुका है तथा उससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा है और इसका मकान नम्बर भी उत्तरदाता के नाम से तनहा दर्ज हुआ जिसका नम्बर 126 ग है एनेक्चर राशन कार्ड व वोटर लिस्ट प्रथम व द्वितीय प्रति संलग्न है। उत्तरदाता के सेहन व दुवारा में मवेशियों के आ जाने से उसकी वस्तुएं नुकसान हो जाती है। जिससे प्राइवैसी रखने व सुरक्षा की दृष्टि से उत्तरदाता ने अपनी मकान व आबादी की सीमाओं को पक्की चहार दीवारी से घेर कर आबाद रहा, चला आ रहा है। उत्तरदाता से बिना किसी बाधा व्यवधान के वादी व अन्य प्रतिवादीगण उपरोक्त स्थल में निवास करता व उपयोग करता चला आ रहा है। वादी व अन्य प्रतिवादीगण इस सच्चाई से अवगत रहे कि उक्त मकान आबादी उत्तरदाता की तनहा है जिससे उन्होंने कभी कोई आपत्ति व अधिकार नहीं जताया । वस्तुतः विवादित साल में लाल पीला से प्रदर्शित भाग सामुहिक बैठका, आंगन कतई नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण अंश उत्तरदाता का सेहन व दुरावा है जो पक्की चहारदीवारी से घिरा हुआ है और इसी के मध्य उत्तरदाता का नांद चरही खूंटा, उपडौर मजनौर आदि स्थित रहे चले आ रहे है। वादी ने गुमराह करने की नियत से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर निराधार व भ्रामक वाद पत्र दाखिल किया है जिससे दावा व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

**09.** प्रतिवादी संख्या-01 के विधिक वारिसानों की ओर से अपना अतिरिक्त जबावदावा कागज संख्या 50 क दाखिल कर कथन किया गया कि वाद के पत्र के पैरा 3 से इंकार है। चौबे की मृत्यु हुए लगभग 100 वर्ष से अधिक हो गया है। विवादित मकान अ.ब.स.द तनहा आपत्तिकर्तागण के बाबा गरीब के हिस्से में था और अन्य चचेरे बाबा भैरव प्रसाद व अमीरे को

अलग-अलग मकान मिले थे। विवादित मकान से अन्य का कोई वास्ता सरोकार नहीं था क्योंकि चौबे के तीन लड़के थे और तीनों को अलग-अलग मकान बंटवारे में लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व मिले थे और सभी अपने अपने हिस्से में काबिज दखील रहे हैं। दावा वादी विधि विरुद्ध अधिनियम गलत, अप्रमाणित, रंजिशन दाखिल किया गया है जिससे सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

10. न्यायालय द्वारा दिनांक-28.09.2022 को प्रतिवादी संख्या-03,04 व 07 के विरुद्ध पत्रावली में कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की गई। न्यायालय आदेश दिनांकित - 15.11.2022 के अनुक्रम में प्रतिवादी संख्या-02,05 व 06 को कलमजद किया गया।

11. उभयपक्ष के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 17.07.2008 को विरचित किये गये:-

1. क्या वादी विवादित मकान में काबिज दखील है और उसकी पैतृक सम्पत्ति है ?
- 1 क. क्या विवादित भूमि प्रतिवादी की उपार्जित सम्पत्ति है ?
- 2 क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है?
4. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 से बाधित है?
5. क्या दावा वादी अन्य किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

12. न्यायालय द्वारा दिनांक-12.09.2018 को अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-06 विरचित किया गया-

अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-06. क्या विवादित सम्पत्ति के बावत वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य कोई पारिवारिक बंटवारा हुआ है, यदि हुआ है तो उसका प्रभाव?

13. वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8 ग से उद्धरण परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है व सूची 77 ग से बन्ध पत्र कार्यालय, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद की सत्यापित प्रति दाखिल की गई है। मौखिक साक्ष्य में पी० डब्लू-1 के रूप में राममूरत का साक्ष्य शपथपत्र 63 क, पी० डब्लू 2 रामकुमार का साक्ष्य शपथपत्र 66 ग दाखिल किया गया तथा साक्षी पी० डब्लू-1 राममूरत व पी० डब्लू-2 रामकुमार से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादीगण द्वारा की गयी है।

14. प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 79 ग से एक कित्ता एफ०आई०आर० अ० सं०-218/2006 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई है। मौखिक साक्ष्य में डी० डब्लू-1 मोती लाल का साक्ष्य शपथपत्र 72 क दाखिल किया गया है तथा साक्षी डी० डब्लू-1 मोती लाल से वादी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

15. पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा प्रतिवादीगण की ओर से न ही मौखिक बहस प्रस्तुत की गई और न ही लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

**:- निष्कर्ष:-**

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 01, 1 क व अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-06-

16. वाद बिन्दु संख्या-01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित मकान में काबिज दखील है और उसकी पैतृक सम्पत्ति है ? वाद बिन्दु संख्या-1 क इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित भूमि प्रतिवादी की उपार्जित सम्पत्ति है? अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-06 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित सम्पत्ति के बावत वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य कोई पारिवारिक बंटवारा हुआ है, यदि हुआ है तो उसका प्रभाव?

17. वाद बिन्दु संख्या-01 व 06 को साबित करने का भार वादी पर है एवं वाद बिन्दु संख्या-01 क को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। सुविधा की दृष्टि से उक्त वाद बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

18. वादी द्वारा वाद पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वादी की पैतृक सम्पत्ति जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित किया गया है, में बरंग लाल से प्रदर्शित भूमि का मालिक काबिज व दखील है। वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति का बंटवारा वादी के पूर्वज चौबे ने जमींदारी हटने से पहले ही कर दिया था। वादी के पिता को पैतृक सम्पत्ति का पूर्वी भाग प्राप्त हुआ था। प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक नहीं है बल्कि यह मकान प्रतिवादीगण का तनहा उपार्जित है। यहां सर्वप्रथम यह तय करना है कि क्या विवादित मकान वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है?

19. वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति बताया गया है किन्तु इसके विपरीत वादी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि अमीरे के लडके समोधी व राममूरत(वादी) अलग अलग मकान में रहते हैं। यह दोनो मकान हमारे पिता अमीरे द्वारा उपार्जित है। अमीरे ने जो मकान बनवाया है वह भी मेरे पैदा होने के पूर्व बना था। अमीरे द्वारा उपार्जित मकान में मैं रहता हूं और समोधी भी उसी मकान में रहते हैं। अमीरे द्वारा उपार्जित मकान तालाब किनारे है। मेरे मकान के उत्तर तालाब है। वादी द्वारा आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि यह कहना गलत है कि जिस मकान में मैं रहता हूं व समोधी रहते हैं वह चौबे का उपार्जित मकान है।

20. वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति वादी के पिता द्वारा उपार्जित की गई है। वादी द्वारा वादग्रस्त मकान में भैरव व गरीब का भी हिस्सा दर्शाया गया है किन्तु वादी द्वारा मकान को उसके पिता द्वारा स्वयं उपार्जित बताया गया है, इस कथन से यह स्पष्ट है कि वादी के पिता को अलग कहीं पैतृक सम्पत्ति में मकान मिला था जिसे वादी द्वारा वादी के पिता द्वारा उपार्जित बताया गया है।

21. जहां तक वादी के वादग्रस्त सम्पत्ति में हिस्से का संबन्ध है, वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि चौबे के जीवनकाल में ही चौबे ने अपने तीनों लडकों का बंटवारा कर दिया था। तीनों लडके अपने अलग अलग मकान में रहते थे। आगे वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि जो चौबे के लडकों को पैतृक मकान मिला था उसमें तीनों

काबिज हैं। मोतीलाल वगैरह पैतृक मकान में रहते हैं वह उनके हिस्से का है, उसमें लल्लू का व मेरा भी हिस्सा है। मोतीलाल वगैरह अपने हिस्से में रह रहे हैं जो 1/3 है। मोतीलाल वगैरह जिस मकान में रहते हैं उसमें दो कमरे हैं, आंगन है। जिस मकान में मैं रहता हूँ उसमें दो कमरे हैं। यह गांव का मकान है, तालाब किनारे है। यह मकान हम लोगों को बंटवारे में मिला था। इस सम्बन्ध में पी.डब्लू-2 साक्षी ने यह कथन किया है कि भैरो, अमीरे व गरीब तीनों के अलग अलग मकान हैं।

22. वादी ने वाद पत्र के साथ जो नक्शानजरी संलग्न किया है उसमें आंगन को तीनों भाईयों का सार्वजनिक दर्शाया है किन्तु वादी द्वारा अपने साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि चौबे के तीनों पुत्रों को अलग अलग मकान बंटवारे में मिला था। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक आंगन का कथन सत्य नहीं प्रतीत होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वादी ने अपने मकान के उत्तर में तलाब दर्शाया है और पी. डब्लू-2 ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि राममूरत के मकान उत्तर में तलाब है, दक्षिण में समोधी का मकान है, पश्चिम में रामहित की खाली जमीन है, पूरब बचई तिवारी के लड़के की जमीन है जबकि वाद पत्र की चौहद्दी में विवादित मकान के उत्तर में सार्वजनिक गली का होना दर्शाया गया है, दक्षिण में सेहन जमीन लाले कहा गया है, पूरब में कच्ची गली और उसके बाद बचई तिवारी व मुन्नू का मकान दर्शाया गया है तथा पश्चिम में मुन्नू का मकान व लाले का मकान बताया गया है। स्पष्ट है कि जिस मकान में वादी रहता है उस मकान की चौहद्दी विवादित सम्पत्ति से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह कहीं भी नहीं कहा है कि विवादित सम्पत्ति से इतर किसी अन्य मकान में रहता है।

23. वादी द्वारा सूची 77 ग से बन्ध पत्र कार्यालय निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० की सत्यापित प्रति दाखिल की गई है। वादी द्वारा अपने मौखिक बहस में यह कथन किया गया है कि वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को बन्धक रखी गई थी, जिसे बन्धक मुक्त कराने का प्रार्थना-पत्र वादी द्वारा दाखिल किया गया। वादी द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण को अलग-अलग मकान प्राप्त हुए हैं। बन्धक के संबन्ध में वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि वादी द्वारा विवादित मकान को ही बंधक रखा गया है। अतः वादी को कागज संख्या-77 ग/1 ता 77 ग/4 का लाभ वादी को नहीं दिया जा सकता है।

24. अब यह प्रश्न उठता है कि क्या विवादित भूमि प्रतिवादी की उपार्जित सम्पत्ति है इस सम्बन्ध में डी.डब्लू-1 ने अपनी जिरह में कहा है कि विवादित मकान प्रतिवादी का है किसी से खरीदा हुआ मकान नहीं है। वादी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि विवादित मकान में प्रतिवादी मोतीलाल रहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि विवादित मकान प्रतिवादी के पूर्वजों से उपार्जित सम्पत्ति है।

25. जहां तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारे का संबन्ध है, उभय पक्ष द्वारा बंटवारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादी को पैतृक सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या-01 के वारिस द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में यह

अभिकथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति वादी एवं प्रतिवादी के मध्य समस्त सम्पत्ति व मकान का बंटवारा चौबे के जीवनकाल में ही हो गया था। अतः उभय पक्ष द्वारा बंटवारा स्वीकार किया गया है।

26. वादी के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि यह कहना गलत है कि जिस मकान में मैं रहता हूँ व समोधी रहते हैं वह चौबे का उपार्जित मकान है। वादी द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि वादी व समोधी अमीरे द्वारा उपार्जित मकान में रहते हैं। किन्तु वादी द्वारा वादपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वादी के पिता को पूर्वजी बंटवारा में यह मकान मिला था। वादी एवं प्रतिवादीगण को पैतृक सम्पत्ति में बंटवारा स्वीकार है। वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि मोतीलाल वगैरह जिस मकान में रहते हैं उसमें दो कमरे हैं, आंगन है। जिस मकान में मैं रहता हूँ उसमें दो कमरे हैं। यह गांव का मकान है, तालाब किनारे है। यह मकान हम लोगों को बंटवारे में मिला था। वादी के उक्त अभिकथनों से यह साबित होता है कि मकान तीनों भाईयों को बंटवारे में अलग अलग प्राप्त हुआ था। किस भाई को कौन सा हिस्सा प्राप्त हुआ था यह भी वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी द्वारा वादग्रस्त मकान को पैतृक बताया गया है किन्तु वादी अपने अभिकथनों से पैतृक मकान में 1/3 अंश साबित करने में विफल रहा है। बंटवारा उभय पक्षों को स्वीकार है। अतः वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी की पिता से प्राप्त उपार्जित सम्पत्ति है।

27. पूर्व के विश्लेषण से यह निष्कर्ष पर पहुँचा जा चुका कि वादी व प्रतिवादी के मध्य बंटवारे के बाद विवादित मकान प्रतिवादी को मिला न कि वादी को और वादी इस बात को साबित नहीं कर सका है कि यह मकान उसे मिला था। इसके विपरीत उसने विवादित मकान में प्रतिवादी का रहना स्वीकार किया है। तदनुसार यह माना जा सकता है कि विवादित सम्पत्ति के बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हुआ था और उक्त बंटवारे के अनुसार ही प्रतिवादी उक्त भूमि पर काबिज है।

28. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त सम्पत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति थी जो बंटवारे के बाद प्रतिवादीगण को मिली थी न कि वादी को क्योंकि स्वयं वादी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि चौबे के तीन पुत्रों को अलग अलग मकान मिले थे। ऐसी स्थिति में यह कथन सही प्रतीत नहीं होता है कि एक ही मकान के तीन हिस्से करके तीनों भाईयों में बांट दिये गये थे। स्वयं वादी का कथन है कि जिस मकान में वह रहता है वह उसे बंटवारे में मिले थे और यह मकान तालाब किनारे है जबकि वाद पत्र में तालाब के किनारे का अवस्थित का कोई विवरण नहीं है।

29. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **हबीबुल्लाह बनाम मो0 यासीन आदि द्वितीय अपील संख्या 958 वर्ष 1980 निस्तारित 12 दिसम्बर 1994** के मामले में व **Moran Mar Basselios Catholics & another V. Most. Rev. Mar Poulouse Athnnasina & others (A.I.R 1954 S.C. Page 526)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि विनिश्चय प्रतिपादित किया गया है वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। वादी प्रतिवादी की कमियों का लाभ नहीं ले सकते हैं।



30. तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-01 व अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-06 वादी के विरुद्ध एवं वाद बिन्दु संख्या-1 क प्रतिवादीगण क विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02-

31. वाद बिन्दु संख्या-02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

32. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक - 20.08.2008 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03-

33. वाद बिन्दु संख्या-03 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है?

34. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

35. प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या-28 क के प्रस्तर 14 में यह कथन किया है कि न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

36. उक्त वाद बिन्दु के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई सारवान साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है और न ही बल दिया गया है। मात्र अभिकथन किया गया है। अतः उक्त वाद बिन्दु को प्रतिवादीगण द्वारा बल न दिये जाने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 04-

37. वाद बिन्दु संख्या-04 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 से बाधित है?

38. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

39. प्रतिवादीगण मे अपने अतिरिक्त लिखित कथन कागज संख्या- 28 क की धारा-37 में यह कथन किया है कि वादी का दावा आदेश 7 नियम 3 जा०दी०, से बाधित है।

40. यहाँ आदेश 7 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख आवश्यक होगा, जो निम्नरूपेण है-

**जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर संपत्ति है - जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर संपत्ति है वहाँ वादपत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जहाँ ऐसी संपत्ति की पहचान भू -व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख में की सीमाओं या संख्याओं द्वारा की जा सकती है, वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे।**

41. उक्त वर्णित विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० के संबन्ध में वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति को देखा जाना होता है, जिसको सीमाओं या संख्याओं के द्वारा उसकी पहचान की जा सके। वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नज़री में वादग्रस्त

सम्पत्ति को सीमाओं से दर्शाया गया है एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त के संबन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

42. अतः वाद-बिन्दु संख्या-04 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05-

43. वाद बिन्दु संख्या-05 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी अन्य किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

44. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

45. वादी ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता ने स्थाई निषेधाज्ञा एवं विकल्प में बंटवारा के अनुतोष पर बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1, 1 क व अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-6 न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि वादी मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादी अन्य अनुतोष बंटवारा को भी करा पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह बंटवारा पूर्व में ही हो चुका है।

:-आदेश:-

46. प्रस्तुत मूल वाद संख्या-318/2000 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वादव्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ़्तर हो।

दिनांक- 23.12.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/  
त्वरित न्यायालय-II,  
कौशाम्बी  
J.O. Code- UP3792

47. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक- 23.12.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/  
त्वरित न्यायालय-II,  
कौशाम्बी  
J.O. Code- UP3792